संख्याः 12/2019/617 /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2019**

विषयः- ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मद संख्या-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-115/नेडा-ए-लेखा- आयो0 बजट/2019-20, दिनांक 05 अ्रप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के सापेक्ष मद संख्या-53 में प्राविधनित धनराशि रू0 2,75,00,000/-की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,37,50,000/-(रू0 एक करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0स0	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	75,00,000/-
2.	केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	62,50,000/-
	योगः- (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र)	1,37,50,000/-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या-1335/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित शर्तों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाशीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम- 03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के लिये रू0 75,00,000/-तथा 0303-केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) में रू0 62,50,0000/-''के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in